फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

सुरेन्द्र शर्मा बनाम राजेश कुमार

संख्या– 72/2024 डी.आई.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	मे स्थित खसरा नम्बरान 764, 771, 772, 773, 171, 774, 775, 787, 788 के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली डैफल शुमार होकर दर्ज नम्बर है कि ही लई तकमील दाखिल दफ्तर है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा की ओर से जवाब प्रा० टी० आई पेश किया। शा०पि० है। अप्रार्थी द्वारा की ने बहस प्रा० डी० आई हेतु बावत चाहा। पत्रावली वास्ते बहस डी० आई हेतु दिनांक 23/8/24 को पेश हो। आदेश दिनांक 21/8/24 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष तथा अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु अवसर मांगा आगामी पेशी पर अवसर दिया से बहस हेतु जब तक दिनांक 21/8/24 को जारी आदेश को मनावत रखा जाता है पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 20/9/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष प्रा० डी० आई सुनी गई। बहस उभयपक्ष व पत्रावली का मय दस्तावेज अवलोकन करने पर उभयपक्षगण को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के पालन किया जाता है कि मुकदमा के निस्तारण तक पक्के ग्राम बोलावाला पटवार हल्का लालना, तह० सांगानेर जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:46:10 IST
Reason: SelfAttested